न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 365/2021
दायर दिनांक :– 07.07.2021

अनवान

श्री घीसूलाल पिता रामबिलास जोशी नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रार्थी.........

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री शशिकान्त पत्रिया, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 17.02.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर की आ.न. 268, 5135, 6394, 6395 कुल किता 4 रकबा 8.06 बीघा कृषि भुमि वादी के पिता राजस्व रेकार्ड में रामबिलास मुत. कल्याण ब्राहमण के नाम दर्ज है। ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर की आ.न. 298, 299, 5106 कुल किता 3 रकबा 5.06 बीघा कृषि भुमि साथ ही आराजी चाह संख्या 6396 भी राजस्व रेकार्ड में रामबिलास मु. कल्याण ब्राहमण के नाम दर्ज है। वादी के पिता का नाम स्व. श्री रामविलास मुत. कल्याण ब्राहमण है तथा उनके समस्त दस्तावेजों में भी नाम रामबिलास जोशी ब्राहमण ही था एवं प्रार्थी के पिता को रामबिलास के नाम से ही जाना व पहचाना जाता रहा हैं परतु वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी के स्व. पिता का नाम रामबिलास के स्थान पर राजस्व कर्मचारियेां द्वारा वादी के पिता का नाम रामबिलास के स्थान पर रामनिवास गलत दर्ज कर अंकन कर दिया है। जिसे न्यायहित में दुरस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थी के पिता का नाम रामबिलास ही था व राजस्व रेकार्ड मे सेटलमेन्ट के समय व उसके वाद भी रामबिलास ही दर्ज था परन्तु धीरे धीरे रामबिलास के स्थान पर रामनिवास अंकन में आ गया व वर्तमान में रामनिवास ही अंकित चला रहा है। राजस्व रेकार्ड में रामनिवास अंकित होने व वादी के पिता स्व. श्री रामबिलास जी के निधन हो जाने पर मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज में रामबिलास दर्ज होने से उनके वारिसान के नाम पर इंतकाल खोलने में भी समस्या खडी हो गई हैं साथ ही रामनिवास अंकित होने से

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

अनेकानेक अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड रहा है इस कारण न्यायहित में वादी के पिता का नाम रामनिवास के स्थान पर पुनः रामबिलास अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी ने विपक्षी के साथ ही हल्का पटवारी से राजस्व रेकार्ड में वास्तविक नाम रामबिलास ही दर्ज करने व वादी के पिता का देहान्त हो जाने के कारण विधिक वारिसानों के नाम पर इंतकाल खोलने का निवेदन किया परन्तु दिनांक 15.10.2020 को मना कर देने बाद कारण उत्पन्न पेश निरन्तर जारी हैं अतः निवदन है की बाद जॉच प्रार्थी को राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 व 2 में वर्णित कृषि आराजियात के खातेदार के रूप में दर्ज होकर रामनिवास मुतबन्ना कल्याण ब्राहमण के स्थान पर रामबिलास मुतबन्ना कल्याण ब्राहमण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर की तरफ से दिनाक 14.02.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली में संलग्न है। जिसमें सेटलमेंट के मिलान खसरा के अनुसार प्रार्थी का नाम रामबिलाश मु. कल्याण ब्राहमण दर्ज बताया है। साक्ष्य स्वरूप जमाबन्दी की प्रतिलिपी सम्वत 2072 से 75, जमाबन्दी की प्रतिलिपी सम्वत 2035 से 38, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली के संलग्न है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम रामनिवास मु. कल्याण ब्राहमण के बजाय रामबिलास मु. कल्याण ब्राहमण नाम में शुद्वी कराये जाने के संबध में तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम रामनिवास मु. कल्याण ब्राहमण के बजाय रामबिलास मु. कल्याण ब्राहमण दर्ज किया जाना उचित है। जिससें न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर की आ.न. 268, 5135, 6394, 6395 कुल किता 4 रकबा 8.06 बीघा एवं ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर की आ.न. 298, 299, 5106 कुल किता 3 रकबा 5.06 बीघा तथा आराजी चाह संख्या 6396 में सहखातेदार रामनिवास मु. कल्याण ब्राहमण के बजाय रामबिलास मु. कल्याण ब्राहमण दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Dr

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner